संख्या-8/2019/467/53-2-19-44(बजट)/18

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल,2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में (अनुदान संख्या-16)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-07/दुग्ध-4/नियो0/ दु0परि0प्रस्ताव-2019-20, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-10-उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में कुल रू0 536.68 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 536.68 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 268.06 लाख (रू0 दो करोड़ अरसठ लाख छः हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से प्रस्ताव के अनुसार वेतन मद में रू0 257.21 लाख व कार्यालय मद में रू0 10.85 लाख व्यय की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मद में कराये जाने का दायित्व आपका होगा।

(2) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि का निर्धारित मद से इतर मद में प्रयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। धनराशि का आहरण एकमुस्त न करते हुए यथावश्यकता ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-16 के अधीन लेखाशीर्षक "2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-10-उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या-ई-1-457/दस/2019, दिनांक-18अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 8/2019/467/53-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in